



प्रत्यक्ष कर संग्रह

संदर्भ: 9 अक्टूबर, 2023 तक, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढ़ गया है-

- सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.95% बढ़ा।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह (रिफंड का शुद्ध) 21.82% बढ़ा।
- कुल सकल कर संग्रह 11.07 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान का 52.50% है।
- कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) में 7.30% की वृद्धि दर देखी गई, जबकि सकल राजस्व के सन्दर्भ में व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) में 29.53% (केवल पीआईटी) या 29.08% (एसटीटी सहित पीआईटी) की वृद्धि हुई है।
- रिफंड के बाद, सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 12.39% थी, और पीआईटी संग्रह के लिए, यह 32.51% (केवल पीआईटी) या 31.85% (एसटीटी सहित पीआईटी) थी।

भारत में प्रत्यक्ष कर

- भारत में, केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं पर उनकी आय या अर्जित लाभ के आधार पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है।
- ये कर बिना किसी मध्यस्थ के सीधे व्यक्तियों, निगमों और अन्य संस्थाओं की आय पर लगाए जाते हैं।
- वे सार्वजनिक व्यय के वित्तपोषण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रकार

- **आयकर:**
 - व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), साझेदारी और व्यक्तियों के संघों (एओपी) पर आरोपित होता है।
 - यह आय और आयु के आधार पर, आयकर अधिनियम 1961 द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के साथ लागू होता है।
- **निगमित कर:**
 - इसे घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों और निगमों के मुनाफे पर लगाया गया।
 - निगमित कर दे, कटौतियाँ और छूटें वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **पूंजीगत लाभ कर:**
 - इसे रियल एस्टेट, स्टॉक और म्यूचुअल फंड सहित पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है।
 - इसे अलग-अलग दरों और छूटों के साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक लाभ में विभाजित किया गया है।
- **प्रतिभूति लेनदेन कर (एमटीटी):**
 - यह शेयर, बांड और इन्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड जैसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगने वाला कर है।
 - इसका खरीदार या विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है, इसका उद्देश्य सट्टा व्यापार को हतोत्साहित करना है।
- **लाभांश वितरण कर (डीडीटी):**
 - यह कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को वितरित लाभांश पर लगाया जाता है।
 - लाभांश आय को प्राप्तकर्ता की कर योग्य आय में जोड़ा जाता है और लागू स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।
- **उपहार कर:**
 - इसे निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के बिना प्रतिफल के हस्तांतरण पर लगाया गया था।
 - इसे भारत में समाप्त कर दिया गया, उपहार आय अब आयकर के अधीन है।
- **संपत्ति कर:**
 - भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संपत्ति कर प्रावधान का अभाव है।
 - संपत्ति कर, जिसे विरासत कर के रूप में भी जाना जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होगा।

अधिभार और उपकर के बीच अंतर

क्या होता है उपकर (Cess)?

- ❖ उपकर या सेस करदाता द्वारा अदा किये जाने वाले मूल कर (Tax) पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है।
- ❖ यह मुख्यतः राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिये फंड एकत्रित करने हेतु लागू किया जाता है।
- ❖ उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है।
- ❖ उपकर सरकार के लिये राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता है, निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है।
- ❖ उपकर या सेस के उदाहरण निम्नलिखित हैं- शिक्षा पर उपकर, कृषि कल्याण पर उपकर आदि।

क्या होता है अधिभार (Surcharge)?

- ❖ अधिभार (Surcharge) भी टैक्स के ऊपर टैक्स (Tax On Tax) ही होता है, लेकिन यह सभी करदाताओं पर न लगकर, एक सीमा से अधिक आमदनी वाले करदाताओं पर ही लगता है।
- ❖ अधिभार के रूप में वसूली गई राशि भी भारत सरकार के कोष (Consolidated Fund of India -CFI) में पहुंचती है, और इसे सामान्य टैक्स की तरह ही किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है।

Face to Face Centres





11 October, 2023

उपकर और अधिभार में अंतर (Difference Between Cess and Surcharge)

- ❖ उपकर और अधिभार में मुख्य अंतर यह होता है कि उपकर को किसी खास उद्देश्य के लिए अतिरिक्त टैक्स (Additional Tax) के रूप में वसूला जाता है, जबकि अधिभार को कुछ खास करदाताओं से, अतिरिक्त टैक्स (Additional Tax) के रूप में वसूल किया जाता है।
- ❖ उपकर को जिस उद्देश्य के लिए वसूला जाता है, उसी उद्देश्य पर सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। खास उद्देश्य की प्राप्ति के बाद सरकार उपकर टैक्स को समाप्त कर देती है। वहीं अधिभार को सरकार द्वारा किसी खास उद्देश्य से नहीं वसूला जाता है। अधिभार के तहत एकत्रित फंड को सरकार द्वारा कहीं पर भी खर्च किया जा सकता है।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission)

संदर्भ: भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने फार्माकोपियाल चर्चा समूह में एक सदस्य की भूमिका निभाई है।

- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) आधिकारिक तौर पर हैदराबाद में 3-4 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी वार्षिक बैठक के दौरान फार्माकोपियाल चर्चा समूह (पीडीजी) का सदस्य बन गया।
- पीडीजी में यूरोपीय फार्माकोपिया (पीएच यूरो), जापानी फार्माकोपिया (जेपी), यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया (यूएसपी), और अब भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक फार्माकोपियाल मानकों में सामंजस्य स्थापित करना है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञतामय प्रक्रियाओं और स्वीकृति मानदंडों को मानकीकृत करके निर्माताओं पर बोझ को कम करना है।
- आईपीसी को सभी प्रवेश मानदंडों को पूरा करते हुए सितंबर 2022 में पायलट चरण के लिए चुना गया था। पायलट चरण के एक वर्ष के बाद, आईपीसी को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की पुष्टि की गई।
- यह कदम भारतीय फार्माकोपिया की अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता को बढ़ाएगा और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप एक प्रगतिशील मानक-निर्धारक के रूप में स्थापित करेगा।

- ❖ फार्माकोपिया एक ऐसी पुस्तक है जो मिश्रित दवाओं की पहचान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।
- ❖ इसे प्रायः सरकार या मेडिकल या फार्मास्युटिकल सोसायटी के अधिकार के तहत प्रकाशित किया जाता है।
- ❖ फार्माकोपिया के भीतर विशिष्ट औषधीय तैयारियों के विवरण को मोनोग्राफ कहा जाता है।
- ❖ व्यापक संदर्भ में, फार्माकोपिया फार्मास्युटिकल दवा विशिष्टताओं के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।
- ❖ इस शब्द को "फार्माकोपिया" या "फार्माकोपिया" के रूप में भी लिखा जा सकता है, अप्रचलित टाइपोग्राफी "फार्माकोपिया" है।
- ❖ ये पुस्तकें दवा निर्माण और उपयोग के मानकों को बनाए रखने में आवश्यक हैं।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी)

- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) भारत में निर्मित, बेची और उपभोग की जाने वाली सभी दवाओं के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- इन मानकों को ब्रिटिश फार्माकोपिया से प्राप्त एक ऐतिहासिक मॉडल का अनुसरण करते हुए "इंडियन फार्माकोपिया" (आईपी) के रूप में प्रकाशित किया जाता है।
- भारतीय फार्माकोपिया 2010 (आईपी 2010) मानक 1 दिसंबर 2010 से प्रभावी हैं।
- फार्माकोपिया 2014 को स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा 4 नवंबर 2013 को जारी किया गया था।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव द्वारा फार्माकोपिया 2018 जारी किया गया।
- भारत में, दवाओं को गैर-स्वामित्व वाली दवा के नाम के साथ "आईपी" के साथ लेबल किया जाना चाहिए, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप में उपभोक्ताओं से परिचित हो सके।
- यह "बी.पी." ब्रिटिश फार्माकोपिया और "यू.एस.पी." यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के प्रत्यय के समान है।
- आईपीसी की स्थापना भारतीय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार की गई थी और आधिकारिक तौर पर 1956 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से इसका गठन किया गया था।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम&एच)

- PCIM&H आयुष मंत्रालय के तहत संचालित एक स्वायत्त निकाय है और 2010 से स्थापित किया गया है।
- फार्माकोपिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और इसके 1945 के नियमों के अनुसार मानकों की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पुस्तक है।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची इसे भारत में आयातित, बिक्री के लिए निर्मित, स्टॉक की गई, बिक्री के लिए प्रदर्शित या वितरित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित करती है।
- यह भारत में उत्पादित और विपणन की जाने वाली दवाओं की पहचान, शुद्धता और प्रभाव के लिए मानकों की रूपरेखा तैयार करता है।
- आयोग के कार्यों में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए फार्माकोपियाल मानक विकसित करना शामिल है।
- PCIM&H भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है।

Face to Face Centres





उपचारात्मक याचिका (Curative Petition)

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया के संबंध में दूरसंचार कंपनियों की उपचारात्मक याचिका को खुली अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

- सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की क्यूरेटिव याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं।
- ये याचिकाएं दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों का हवाला देती हैं।
- इस मामले का विशिष्ट पहलू यह है कि इसकी सुनवाई खुली अदालत में होगी, जबकि समीक्षा और उपचारात्मक याचिकाओं पर आमतौर पर न्यायाधीशों के कक्ष में सुनवाई होती है।
- फिलहाल, अदालत द्वारा मामले की सुनवाई के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

यह क्या है?

- सुधारात्मक याचिका एक कानूनी अनुरोध है जो समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद भी अदालत से अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए किया जाता है।
- उपचारात्मक याचिकाओं की अवधारणा को निर्भया मामले के दौरान प्रमुखता मिली, जहां दो दोषियों ने अपनी दया और समीक्षा याचिकाएं खारिज होने के बाद ऐसी याचिकाएं दायर कीं।
- उपचारात्मक याचिका का पहला उल्लेखनीय उदाहरण **2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा** मामला था।
- इसे कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए पेश किया गया था।

उपचारात्मक याचिका की प्रक्रिया

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा समर्थित, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानून और विनियमों के मामलों में अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है।
- फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक याचिका दायर की जानी चाहिए।
- याचिकाकर्ता सुधारात्मक याचिका तभी दायर कर सकता है जब समीक्षा याचिका खारिज हो गई हो।
- याचिकाकर्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित उन आधारों को निर्दिष्ट करना होगा जिन पर समीक्षा याचिका खारिज की गई थी।
- उपचारात्मक याचिका पर तभी विचार किया जाता है जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो या मूल फैसले के दौरान याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गई हो।
- यदि संभव हो तो इस पर तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों और मूल सजा सुनाने वाले न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा परिचालित किया जाता है।
- याचिका को उसी पीठ के समक्ष तभी सूचीबद्ध किया जाता है जब अधिकांश न्यायाधीश सहमत हों।
- खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन प्रायः इसका निर्णय न्यायाधीशों द्वारा अपने कक्ष में किया जाता है।
- यदि याचिका में उचित आधार का अभाव है, तो अदालत याचिकाकर्ता पर "अनुकरणीय लागत" (exemplary costs) लगा सकती है।

समायोजित सकल राजस्व

- AGR (समायोजित सकल राजस्व) दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से लिया जाने वाला एक उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क है।
- दूरसंचार ऑपरेटरों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान करना आवश्यक है, जो उनके राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- राजस्व हिस्सेदारी निर्धारित करने में एजीआर एक महत्वपूर्ण कारक है।
- DoT के दृष्टिकोण के अनुसार, AGR में एक दूरसंचार कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होना चाहिए, जिसमें गैर-दूरसंचार स्रोत जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्ति बिक्री भी शामिल हैं।
- हालांकि, दूरसंचार कंपनियों का तर्क है कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए और गैर-दूरसंचार राजस्व को बाहर रखा जाना चाहिए।
- इन भिन्न व्याख्या के परिणामस्वरूप दूरसंचार ऑपरेटरों और DoT के बीच विवाद और कानूनी कार्यवाही हुई है।
- **उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शुल्क):**
 - दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शुल्क लिया जाता है।
 - स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क प्रायः 3-5 प्रतिशत के बीच आंका जाता है, जबकि लाइसेंस शुल्क लगभग 8 प्रतिशत है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

पद्मा ब्रिज रेल लिंक



हाल ही में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया।

पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना के बारे में:

- पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना (पीबीआरएलपी) बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दक्षिण पश्चिम में जशोर से जोड़ने वाला 170 किमी लंबा रेलवे लिंक है।
- यह परियोजना बांग्लादेश रेलवे द्वारा चीन रेलवे इंजीनियरिंग (सीआरईसी) के सहयोग से विकसित की गई है।
- रेलवे लाइन 6.1 किमी लंबे पद्मा ब्रिज से होकर गुजरती है, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुल है और सड़क परिवहन के लिए पहला फिक्स्ड रिबर क्रॉसिंग है।
- पीबीआरएलपी को मार्च 2016 में बांग्लादेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- परियोजना जून 2024 तक पूरी होने की सम्भावना है।

Face to Face Centres





<p>अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष</p> 	<p>हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 6.1% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश शामिल हैं। यह भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को विशेष रूप से आर्थिक सुधार की शर्तों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट सहित विभिन्न वैश्विक आर्थिक संकटों का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
<p>यूपीए एक्ट</p> 	<p>हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक और एचआर प्रमुख को यूपीए के तहत 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यूपीए अधिनियम (UAPA Act) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1967 में पारित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूपीए), आतंकवादी गतिविधियों और अन्य अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं (special procedures) प्रदान करता है। यूपीए की धारा 15 "आतंकवादी कृत्य" को परिभाषित करती है, जिसमें मौत के मामले में 5 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। यह केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह विदेश में भारतीय नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और भारतीय-पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार व्यक्तियों पर लागू होता है। <p>यूपीए से जुड़े मुद्दे:</p> <ul style="list-style-type: none"> यूपीए उन विचारों और राजनीतिक विरोधों को अपराध घोषित करता है जो राज्य के प्रति "असंतोष" उत्पन्न करते हैं और अभिव्यक्ति के अधिकार में बाधा डालते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए बिना आरोप पत्र दाखिल किए 180 दिनों की कैद की अनुमति देता है। इसका उपयोग असहमति को दबाने, सार्वजनिक बहस और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
<p>नाचता हुआ मेंढक</p> 	<p>हाल ही में, यह पाया गया है कि पश्चिमी घाट में नाचता हुआ मेंढक / डांसिंग मेंढक (Dancing Frog) भारत में सबसे संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है। के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> विश्व स्तर पर, यह शीर्ष पांच सबसे अधिक खतरे वाले उभयचर प्रजातियों में से एक है, इसकी 92% प्रजातियां खतरे वाली श्रेणी गोर वाई (threatened category) में हैं। यह मेंढक जलधाराओं के पास "फुट फ्लैगिंग" करता है, जहाँ नर एक समय में एक पिछला पैर फैलाता है और साथियों को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए अपने जाल वाले पैर की उंगलियों को तेजी से हिलाता है। आक्रामक प्रजातियाँ, भूमि-उपयोग परिवर्तन, मौसम भिन्नता, संक्रामक रोग, जल और प्रकाश प्रदूषण और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं सहित कई मानव-प्रेरित कारकों ने इसकी आबादी को प्रभावित किया है। <p>पर्यावास: यह कम से कम 70-80% मोटी छतरी वाले आवासों को प्राथमिकता देता है। IUCN स्थिति: गंभीर रूप से लुप्तप्राय</p>
<p>चक्रवात उत्पत्ति</p> 	<p>चक्रवात-उत्पत्ति (Cyclone-genesis) के बारे में:</p> <ul style="list-style-type: none"> चक्रवात-उत्पत्ति, या साइक्लोजेनेसिस, उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक चक्रवात, जैसे कि उष्णकटिबंधीय तूफान या तूफान, बनता है और तीव्र होता है। कई प्रमुख कारक चक्रवातों के निर्माण को प्रभावित करते हैं, जिनमें समुद्र की सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी की मात्रा, सतह से ऊपरी वायुमंडल में हवा के पैटर्न में बदलाव और सतह के पास हवाओं का घूमना शामिल है। चक्रवात का निर्माण तब होता है जब ये कारक चक्रवात के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाने के लिए संरेखित होते हैं। गर्म महासागरीय पानी आवश्यक गर्मी और नमी प्रदान करता है, जबकि मंद पवन की गति चक्रवात वृद्धि को बढ़ावा देता है।
<p>हेमोक्रोमैटोसिस</p> 	<p>हेमोक्रोमैटोसिस (रक्तवर्णकता) क्या है? हेमोक्रोमैटोसिस, या 'कांस्य मधुमेह', ('Bronze diabetes.) एक वंशानुगत बीमारी है जो समय के साथ शरीर में अतिरिक्त आयरन के धीरे-धीरे जमा होने से उत्पन्न होती है। प्रकार:</p> <ul style="list-style-type: none"> वंशानुगत हेमोक्रोमैटोसिस: यह एचएफई जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे आंतों में अत्यधिक लौह अवशोषण होता है। सेकेंडरी हेमोक्रोमैटोसिस: यह प्रायः रक्त आधान (blood transfusions), अत्यधिक आयरन की आपूर्ति या कुछ चिकित्सीय स्थितियों जैसे कारकों के कारण होता है। आयरन का संचय तेजी से हो सकता है और वंशानुगत रूप से अंगों को प्रभावित कर सकता है। <p>लक्षण:</p> <ul style="list-style-type: none"> इसके लक्षण आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की उम्र के बीच दिखाई देते हैं। सामान्य लक्षणों में अत्यधिक थकान, अस्पष्टीकृत वजन घटना, कमजोरी और जोड़ों का दर्द शामिल हैं।



11 October, 2023

समाचारों में स्थान

स्पेन

राजधानी: मैड्रिड

हाल ही में, स्पेन ने राजनीतिक समूह हमास और व्यापक फिलिस्तीनी आबादी के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अवस्थिति : स्पेन दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप (Iberian Peninsula) पर स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ:

- स्पेन की सीमाएँ पश्चिम में पुर्तगाल और उत्तर-पूर्व में फ्रांस से लगती हैं।
- इसके पूर्व में भूमध्य सागर और उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर के साथ व्यापक तटरेखाएँ हैं।
- स्पेन में अटलांटिक महासागर में केनरी द्वीप और भूमध्य सागर में बेलिएरिक द्वीप समूह शामिल हैं।
- स्पेन को 17 स्वायत्त समुदायों में विभाजित किया गया है, जिनमें कैटलोनिया, अंडालूसिया, मैड्रिड आदि शामिल हैं।
- उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के दो एन्क्लेव हैं - सेउटा और मेलिल्ला।

भौगोलिक विशेषताओं:

- स्पेन की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में पाइरेनीज़, सिएरा मोरेना, सेंट्रल सिएरा और कैटब्रियन पर्वत शामिल हैं।
- एब्रो नदी स्पेन की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है।



POINTS TO PONDER

- ❖ कौन सी संस्था सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक (एसपीआई) का संकलन जारी करती है? - विश्व बैंक
- ❖ R21/Matrix-M, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी का टीका है? - मलेरिया
- ❖ भारत के बाहर बी आर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी' का अनावरण किस देश में किया जाएगा? - यूएसए
- ❖ 'संप्रति-XI' भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? - बांग्लादेश
- ❖ IORA की स्थापना कब हुई थी? - 1997

Face to Face Centres

